



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 61201

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1573/2026

इमरान अहमद

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अबू बख्त, नीरज श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति पी.के.गिरि

- हमने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अबू बख्त और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्होंने पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत के साथ यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। प्रार्थना खंड नीचे दिया गया है:-

"अतः इस माननीय न्यायालय से अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वह इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए, जिला अमरोहा के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण मामले संख्या 336/2023 श्रीमती (मेहक रानी एवं अन्य बनाम डॉ. मोहम्मद नईम), थाना-दीदौली, जिला अमरोहा (जेपी नगर) में दिनांक 29.11.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश को रद्द करने की कृपा करें।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 अपनी इच्छा से अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और जिरह में उसने यह सहमति दी है कि वह अपने पति के साथ अलग घर में रहने को तैयार है और इसका खर्च पति-पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। उसने जिरह में यह भी कहा है कि वह अपनी सास और ससुर के साथ नहीं रहना चाहती।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वे नाबालिग बेटी (प्रतिपक्षी संख्या 3) के पक्ष में स्वीकृत भरण-पोषण के संबंध में दिनांक 29.11.2025 के आक्षेपित आदेश पर जोर नहीं देना चाहते हैं और परित्याग/अपनी मर्जी से अलग रहने के आधार पर, यह आक्षेपित आदेश धारा 125 (4) द.प्र.सं. के विरुद्ध है, इसलिए दिनांक 29.11.2025 का आक्षेपित आदेश पत्नी/प्रतिपक्षी संख्या 2 के संबंध में निरस्त किए जाने योग्य है।

5. इस न्यायालय ने पत्नी-प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा धारा 125 द.प्र.सं. के तहत दायर आवेदन का अवलोकन किया और उसमें किए गए कथनों से निम्नलिखित तथ्य पाए:

क) आवेदन के पैराग्राफ संख्या 4 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक-पत्नी का पति एक डॉक्टर है और दिल्ली के त्रिलोकपुरी में अपना निजी क्लिनिक चला रहा है और उसकी पर्याप्त आय है।

ख) आवेदन के अनुच्छेद 5 से 7 में आगे उल्लेख किया गया है कि विवाह से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो पति को स्वीकार्य नहीं थी और वह पुत्र की चाह रखता था। जब आवेदक दोबारा गर्भवती हुई, तो उसका जबरन लिंग निर्धारण परीक्षण कराया गया और गर्भ में कन्या भ्रूण पाए जाने पर उसने उसे गर्भपात की दवा दी, जिसके कारण लगभग साढ़े तीन महीने का गर्भ समाप्त हो गया।

ग) यह भी कहा गया है कि जब आवेदक की हालत गंभीर हो गई, तो उसके ससुराल वालों और एक रिश्तेदार ने उसे अमरोहा स्थित जोया नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ पति-याचिकाकर्ता उसे छोड़कर भाग गया और सारा खर्च आवेदक के माता-पिता ने उठाया। यह भी कहा गया है कि पति नाबालिग पुत्री को पीटता भी था।

घ) यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक एक गृहिणी है और उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है और वह अपना और अपनी नाबालिग पुत्री का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, जबकि पति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आर्थिक रूप से सक्षम है, इसलिए पत्नी और नाबालिग पुत्री के भरण-पोषण के लिए यह आवेदन दायर किया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि सास और ससुर के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है, फिर भी याचिकाकर्ता सास और ससुर के साथ नहीं रहना चाहती और पति के साथ अलग रहना चाहती है। पूछे जाने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि ससुर और सास, पति और अन्य परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498-ए और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में क्रूरता के आधार भी उल्लिखित हैं, लेकिन इसे इस पुनरीक्षण के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

7. इस न्यायालय ने आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने के बाद पाया कि मामले को परिवार न्यायालय द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को भी भेजा गया था, लेकिन मध्यस्थता सफल नहीं हो सकी। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने भी मुद्दों को निर्धारित किया और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया और उसके बाद दिनांक 29.11.2025 को पति/याचिकाकर्ता को 2000 रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया। पत्नी को 8,000/- रुपये और नाबालिग बेटी को 4,000/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

8. इस न्यायालय ने अभिलेखों का अवलोकन किया और पाया कि मोहम्मद नईम, सबीना, नाज़मा, श्रीमती आयशा, श्रीमती शीबा, इकबाल (ससुर), मोहम्मद हारून और मजीद के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 313, 376-डी, 323, 504, 506 के तहत मामला संख्या 271/2022 (राज्य बनाम नईम और अन्य) के रूप में एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। अतः, इस न्यायालय ने पाया कि एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, इसलिए पत्नी ने निचली अदालत के समक्ष कहा है कि वह सास और ससुर के बिना अपने पति के साथ अलग घर में रहना चाहती है।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है, अतः आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जानी चाहिए।

10. अतः, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका इस स्तर पर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23 मार्च, 2026

विनोद

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।